झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
सिविल रिट याचिका संख्या 1764/2019

कौशल्या देवी, उम्र लगभग 68 वर्ष, गेनालाल यादव की पत्नी, निवासी ग्राम-मिर्जापुर बघार, डाकघर-मनहारी, थाना-कटिहार, जिला-कटिहार (बिहार)।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची के माध्यम से; डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची.
2. उपायुक्त, साहिबगंज; डाकघर एवं थाना-साहिबगंज, जिला. - साहिबगंज
3. अंचल अधिकारी, साहिबगंज; डाकघर एवं थाना- साहिबगंज, जिला- साहिबगंज
4. मंजू देवी, स्वर्गीय केदार यादव की पत्नी, निवासी पुरानी साहिबगंज, डाकघर-साहिबगंज, थाना-साहिबगंज (टी), जिला-साहिबगंज

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राजीव शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता

प्रतिनिधि संख्या 1 से 3 के लिए : श्री प्रशांत कुमार राय, ए सी से एस सी (एल एंड सी)।

प्रस्तुत
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादियों विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को भूमि अधिग्रहण मामले संख्या 12/2017-18 से उत्पन्न मुआवजे के धन के हिस्से के रूप में याचिकाकर्ता को 43,08,846 रुपये का भुगतान करने के लिए तुरंत निर्देश देने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता दर्ज किरायेदार धर्म चंद्र गोप की सबसे बड़ी बेटी है, जिनकी जमीन मौजा- मदनशाही टपुआ में जे.बी. नंबर 466, सर्वे प्लॉट नंबर 161पी, 162पी, 172पी, 174पी और 175पी, कुल क्षेत्रफल 4 बीघा 1 कट्ठा 4 धूर नमो गंगे योजना के तहत स्थित है।

3. याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता पंजीकृत किरायेदार धर्म चंद्र गोप की सबसे बड़ी बेटी है, निजी प्रतिवादी मनु देवी ने प्रतिवादी के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके, बाहरी विचार के लिए और गलत तरीके से लाभ के लिए संदिग्ध तरीका अपनाने के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, साहिबगंज के समक्ष हलफनामा संख्या 34/10/07/18 दिनांक 30.07.2018

द्वारा गलत वंशावली तालिका प्रस्तुत की है और याचिकाकर्ता का नाम जानबूझकर हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों पर धोखाधड़ी करके, पूरी मुआवजा राशि हड़पने के इरादे से, याचिकाकर्ता को कुल 43,08,846/- की राशि के मुआवजे में उसके हिस्से से वंचित किया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि जैसा कि जवाबी हलफनामे के पैरा-11 में उल्लेख किया गया है कि संबंधित प्राधिकारी ने पाया है कि याचिकाकर्ता दर्ज किरायेदार की पुत्री है, इसलिए वह भी उक्त भूमि के संबंध में मुआवजा राशि पाने की हकदार थी और इस त्रुटि को पाकर जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, साहिबगंज ने राम प्रवेश यादव, मंजू देवी और मोसोमात चिंता को प्रत्येक को भुगतान की गई 14,36,282/- रुपये की अधिक राशि की वसूली के लिए एक आदेश पारित किया है और प्रत्येक सर्टिफिकेट केस में 14,36,282/- रुपये यानी कुल 43,08,846/- रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस संख्या 07/2023-24, 08/2023-24 और 09/2023-24 के तहत वसूली के लिए तीन अलग-अलग सर्टिफिकेट केस शुरू किए गए हैं।

5. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, क्योंकि प्रतिवादियों ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि निजी प्रतिवादियों- राम प्रवेश यादव, मंजू देवी और मोसोमात चिंता देवी को गलती से 43,08,846/- रुपये का भुगतान किया गया था और उक्त राशि की वसूली के लिए तीन अलग-अलग प्रमाणपत्र कार्यवाही शुरू की गई है, इसलिए, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश के साथ किया जाता है कि वह इस फैसले की प्रति प्रस्तुत/प्राप्त करने की तारीख से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता- कौशल्या देवी को 43,08,846/- रुपये का भुगतान सुनिश्चित करे।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 04 अप्रैल, 2024
एएफआर/अनिमेष

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।